मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 1994 (अग्रहायण 24, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री ऊर्जा, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 12 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (कृषि), मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामदयाल प्रभाकर, सदस्य, ग्वालियर शुगर कंपनी, डबरा द्वारा कृषकों के गन्ने की कीमत का भुगतान न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रामेश्वर अखण्ड, जगदीश देवड़ा, मनोहरलाल राठौर, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम जहांगिरा में सशस्त्र कंजरों द्वारा डकैती की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 19-गिर्द के सदस्य, श्री बालेन्दु शुक्ल को विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, भोपाल नगर में बस स्टेण्ड से नयापुरा (कोलार रोड) तक नगर वाहन सेवा प्रारंभ किये जाने,

(2) श्री मनोहर लाल राठौर, सदस्य, होशंगाबाद जिले के -

(क) ग्राम बिटिया में सस्ते अनाज की दुकान खोले जाने,
(ख) ग्राम नांदवा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(3) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल के नेहरू नगर क्षेत्र में -

(क) सीवेज लाइन (नाली) ठीक कराये जाने,
(ख) टूटे हुये सेप्टिक टैंक को हटाये जाने,

(4) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के -

(क) ग्राम बकहो में नगर पालिका गठित किये जाने,
(ख) ग्राम सिंहपुर से खैरहा तथा जोधपुर तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
(ग) ग्राम छाता में विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने, एवं
(घ) मुड़ना नदी का पानी सगरा ताल में डायवर्ट कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

6. वर्ष 1994-95 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

1 घन्टा

" दिनांक 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 56, 57, 58, 61, 64, 67, 75, 76, एवं 77 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक सौ तिरेपन करोड़, पांच लाख, सत्रह हजार, तीन सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 5) विधेयक, 1994 (क्रमांक 45 सन् 1994) का पुरःस्थापन*करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 41 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि वक़्फ (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 44 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

बाणसागर परियोजना तथा बरगी जलाशय के अंतर्गत रानी अवंती बाई परियोजना पर्याप्त धनराशि के अभाव में पूर्ण न हो पाने तथा परियोजनाओं को अविलम्ब पूर्ण कराये जाने हेतु समुचित धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक तथा बृजेन्द्र पाठक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

9. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 1 दिसम्बर, 1994 को राज्यमंत्री उच्च शिक्षा से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 315) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 5 दिसम्बर, 1994 को जल संसाधन मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 83) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 14 दिसम्बर, 1994

---

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.